

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- नेहा छीपा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या 69/2025

उनवान

1. नारायण लाल तेली पुत्र बालू लाल तेली जाति तेली नि० कुम्हारो का मोहल्ला मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. रतन लाल तेली पुत्र बालू लाल तेली जाति तेली नि० कुम्हारो का मोहल्ला मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू पुत्र मांगी लाल जाति गाडरी नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. शंकर पुत्र मांगी लाल जाति गाडरी नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. सुरेश पुत्र मांगी लाल जाति गाडरी नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. बंशी पुत्र सिंगा बंजारा नि० बंजारा का खेडा मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. बाली देवी पत्नी बालू लाल तेली नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. लाली देवी पत्नी भगवती प्रसाद ब्राह्मण नि० हरणी कलां तह० व जिला भीलवाडा।(डिलीट)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 15-07-2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 03.04.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आमलीगढ पटवार हल्का आमलीगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) की खाता संख्या 340 की आराजी नम्बर 527/1 रकबा 0.7587 हैक्टयर, आराजी नम्बर 530/1 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 531 रकबा 0.4426 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 1.2645 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.04.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 05 विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 06 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 06 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 06 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम आमलीगढ पटवार हल्का आमलीगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) की खाता संख्या 340 की आराजी नम्बर 527/1 रकबा 0.7587 हैक्टयर, आराजी नम्बर 530/1 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 531 रकबा 0.4426 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 1.2645 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें। आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।



(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)